न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमति शकुन्तला चौधरी आरएएस

मु0न0 : 16/2021 (2021/154)

1. बनवारीलाल पुत्र हरलाल जाति मेघवाल निवासी अमरपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. रामस्वरूप पुत्र हरलाल जाति मेघवाल निवासी अमरपुरा तहसील भादरा।
3. राजेन्द्र पुत्र हरलाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम अमरपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– **प्रार्थीगण**

बनाम

1. छोटुराम पुत्र भादरराम जाति मेघवाल निवासी अमरपुरा तहसील भादरा।
2. आईसीआईसीआई शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा भादरा।
3. भारतीय स्टेट बैंक शाखा भिरानी जरिये शाखा प्रबन्धक।
4. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा।

– **अप्रार्थीगण**

आवेदन पत्र बाबत स्वीकृत करवाने रास्ता अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित शर्त 8(2) राजस्थान जनरल कॉलोनी कण्डीशन एक्ट

उपस्थिति : वकील श्री नरेन्द्र शर्मा : **प्रार्थी**

वकील श्री विनोद कुमार कालेरा : **अप्रार्थी सं0 1**

निर्णय **दिनांक :** 14/9/21

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा अमरपुरा बारानी के मु0नं0 11 के किला नं0 18/1, 19/1, 22 व 23, मु0नं0 19 के किला नं0 2, 3, 8, 9, 12 ता 14, 17, 18 मु0नं0 54 के किला नं0 10/1, 11/1, 20/1, 21/1 मु0नं0 55 के किला नं0 6, 7, 13 ता 18, 23 ता 25, मु0नं0 56 के किला नं0 4 ता 7, 14 व 15 मु0नं0 57 किला नं0 1/1, 10/1, 11/1 कुल किता 37 की 8.282 है0 बारानी खातेदारी प्रार्थीगण के नाम से खातेदारी दर्ज है।

प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी के दक्षिणी तरफ रोही अमरपुरा के ही मु0नं0 14 के किला नं0 4 ता 7, 14 ता 16, 17/1, 17/2, 24, 25/1, 25/2 मु0नं0 16 के किला नं0 4 ता 7 मु0नं0 19 के किला नं0 19 ता 23 मु0नं0 28 के किला नं0 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3, 8/1, 9, 10 मु0नं0 79 के किला नं0 3 ता 8 मु0नं0 80 के किला नं0 1 कुल किता 37 की 7.380 है0 बारानी मय रास्ता की खातेदारी अप्रार्थी सं0 1 के नाम से खातेदारी दर्ज है।

प्रार्थीगण की रोही अमरपुरा के मु0नं0 11, 19 के दक्षिणी तरफ अप्रार्थी सं0 1 की खातेदारी रोही अमरपुरा के मु0नं0 28 के किला नं0 3 की 0.253 है0 व किला नं0 8/2 की 0.202 है0 भूमि लगती है तथा किला नं0 8 में भादरा हिसार रोड़ निकलती है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व,
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

प्रार्थीगण अपनी खातेदारी रोही अमरपुरा के मु0नं0 19 के किला नं0 18 में प्रवेश करने के लिए मु0नं0 19 के किला नं0 23 व मु0नं0 28 के किला नं0 3 व किला नं0 8/2 में पूर्वी तरफ उतर से दक्षिण की तरफ चलकर आम सड़क पर चढता है तथा प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी मे आवागमन का यही एक मात्र रास्ता है। इसके अलावा प्रार्थीगण की खातेदारी में आवागमन का अन्य कोई स्वीकृत या चालू रास्ता नहीं है। मु0नं0 19 के किला नं0 23 व मु0नं0 28 के किला नं0 3 में उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृतशुदा है परन्तु मु0नं0 28 के किला नं0 8/2 में चल रहा रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत नहीं होने के चलते अप्रार्थी आये दिन उक्त रास्ता को बन्द करने की धमकी देता रहता है।

प्रार्थीगण अपनी उक्त खातेदारी में आवागमन के लिए अप्रार्थी सं0 1 की रोही अमरपुरा के मु0नं0 28 के किला न0 8/2 में पूर्वी तरफ किला लाईन से 8–1/4 फिट चोड़ा रास्ता रिकार्ड में स्वीकृत करवाने के कानूनी अधिकारी है। प्रार्थीगण उक्त किला नं0 8/2 में स्वीकृत होने वाले रास्ता के बदले में अपनी खातेदारी में से रास्ता की एवज में भूमि देने या डीएलसी दर से रूपये देने के लिय भी तत्पर एवं तैयार है।

प्रार्थीगण की खातेदारी में आवागमन के लिए बने उक्त रास्ता को अप्रार्थी सं0 1 अवरूद्ध कर रहा है। यदि अप्रार्थीगण उक्त रास्ता को अवरूद्ध कर देते है व प्रार्थीगण का आवागमन बाधित कर देते है तो प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि में नही आ पायेगें तथा प्रार्थीगण जो कि काश्तकार पेशा व्यक्ति है, अपनी खातेदारी में आवागमन नहीं होने के कारण अपनी भूमि काश्त नहीं कर पायेगें तथा प्रार्थीगण की आजिविका नष्ट हो जावेगी एवं प्रार्थीगण क खातेदारी काश्त के अभाव में भूमि बंजर हो जावेगी।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। नोटिस तामील होने के उपरान्त प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं0 1 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया। जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

बहस वकील प्रार्थीगण सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि हम पक्षकारान प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0 1 का आपसी सहमति से राजीनामा हो चुका है तथा मुताबिक राजीनामा रास्ता स्वीकृत करवाने हेतु सहमत है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड में रास्ता स्वीकृत किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने अप्रार्थी सं 1 की खातेदारी रोही मौजा अमरपुरा के खाता सं0 8/13 के मु0नं0 28 के किला नं0 8/2 में से होते हुए अपने खातेदारी में आवागमन के लिए रास्ता स्वीकृत करवाने हेतु पेश किया है। प्रार्थीगण एंव अप्रार्थी सं0 1 ने आपसी सहमति से रास्ता बाबत राजीनामा कर लिया है। अन्य पक्षकारान ने भी प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का कोई खण्डन नहीं किया है। प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी मे प्रवेश करते हेतु अन्य कोई निकटतम दूरी का सुविधाजनक रास्ता नहीं है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व),
भादरा (जिला-हनुमानगढ़).

अत : प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित शर्त 8(2) राजस्थान जनरल कॉलोनी कण्डीशन एक्ट का स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी रोही अमरपुरा के मु0नं0 19 के किला नं0 18 में प्रवेश करने के लिये अप्रार्थी की रोही अमरपुरा के मु0न0 19 के किला नं0 8/2 में पूर्वी तरफ उतर से दक्षिण 8–1/4 फिट चोड़ा रास्ता स्वीकृत किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे रास्ता का अंकन किया जावे। रास्ता में गई भूमि की एवज में प्रार्थीगण की खातेदारी रोही मौजा अमरपुरा के मु0नं0 19 के किला नं0 18 के पश्चिमी तरफ उतर से दक्षिण प्रार्थीगण की खातेदारी में से कम की जाकर रास्ता में गई भूमि के बराबर कृषि भूमि अप्रार्थी छोटूराम के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज की जावे। तहसीलदार राजस्व भादरा को आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ....14/9/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला हनुमानगढ़)

~~उपखण्ड अधिकारी (राजस्व, भादरा (जिला हनुमानगढ़)~~

(शकुन्तला चौधरी)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी,
भादरा, जिला हनुमानगढ़

NOTE →
28/12/21

दिनांक 14/9/21 को जारी इस आदेश में अमरपुरा के मु० नं० 19 की जगह मु० नं० 28 पढ़ा जावें। इस प्रकार मु० नं० 28 के किला नं० 8/2 को पढ़ा जावें।